रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 492] नई दिल्ली, बुधवार, मई 18, 2005/वैशाख 28, 1927
No. 492] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 18, 2005/VAISAKHA 28, 1927

शहरी विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2005

का.आ. 677(अ).—जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में भारत सरकार की दिनांक 30 अगस्त, 2000 की अधिसूचना सं. का. आ. 788(अ) में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है।

उक्त अधिसूचना में पैरा-III के तहत 'समय-सीमा' शीर्षक के अंतर्गत उप-पैरा के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाए नामत :—

"**III. अनुषंगी मामले :**

xxx xxx xxx

समय-सीमा

आयोग अपनी रिपोर्ट यथाशीघ्र सम्भव लेकिन हर हालत में 31 मई, 2005 तक केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करेगा।"

[फा.सं. जे-13036/4/2000-डीडी II बी/खंड-II]

पी. के. प्रधान, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :— मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 30 अगस्त, 2000 के सं० का०आ० 788(अ) के तहत प्रकाशित हुई थी और दिनांक 4 जुलाई, 2002 की सं० का०आ० 700(अ), दिनांक 24 मार्च, 2003 की सं० का०आ० 313(अ), दिनांक 16 जुलाई, 2003 की सं० का०आ० 808(अ), दिनांक 13 जनवरी, 2004 की सं० का०आ० 57(अ), दिनांक 29 जुलाई, 2004 की सं० का०आ० 869(अ), दिनांक 25 जनवरी, 2005 की सं० का०आ० 87(अ), तथा दिनांक 21 मार्च, 2005 की सं० का०आ० 352(अ) के द्वारा बाद में संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th May, 2005

S.O. 677(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby makes the following further amendments in the Notification of the Government of India in the Ministry of Urban Development & Poverty Alleviation number S.O.788(E), dated 30th August, 2000.

In the said Notification, for the sub-para under the heading 'Time-frame' under paragraph III, the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

"III. **Connected Issues :**

xxx xxx xxx

Time-frame.

The Commission shall submit its report to the Central Government as soon as possible but not later than 31st May, 2005."

[F.No. J-13036/4/2000-DDIIB/Vol.II]

P. K. PRADHAN, Jt. Secy.

Note :— The principal Notification was published in the Gazette of India Extraordinary *vide* No.S.O. 788(E), dated the 30th August, 2000 and subsequently amended *vide* No.S.O. 700(E), dated the 4th July, 2002; S.O. 313(E), dated the 24th March, 2003; S.O. 808(E), dated the 16th July, 2003; S.O. 57(E), dated the 13th January, 2004, S.O. 869(E), dated the 29th July, 2004 S.O. 87(E), dated the 25th January, 2005 and S.O. 352(E), dated the 21st March, 2005.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.